22 किलो गांजा की तस्करी करता सरपंच व साथी गिरफ्तार

आपरेशन प्रहार के तहत कोतवाली पुलिस की कार्रवाई

बालाघाट(स्वतंत्र मत)।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में जिले में जारी 'आपरेशन प्रहार' के तहत कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डोंगरमाली सरपंच और उसके साथी को 22 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। कोतवाली निरीक्षक प्रकाश वास्कले ने बताया कि गुरुवार रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम डोंगरमाली सरपंच मनोज लिल्हारे और उसका साथी आनंद दमाहे चौपहिया वाहन (इनोवा) से गांजा बेचने की फिराक में घूम रहे थे। सूचना मिली थी कि उनका वाहन रेंजर कालेज, बायज हास्टल के पास है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर छापामार कार्रवाई की। मनोज लिल्हारे और आनंद दमाहे पुलिस को देख कार के पीछे के दरवाजे से भागने की फिराक में थे, तभी उन्हें टीम ने धरदबोच लिया। छानबीन में दोनों आरोपितों के कब्जे से वाणिज्यिक मात्रा में 22 किलो गांजा (कीमत 1.25 लाख रुपये) बरामद किया गया। दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपित मनोज पिता भरतलाल लिल्हारे (43) और आनंद पिता शिवप्रसाद दमाहे (37) दोनों निवासी डोंगरमाली से पुलिस गांजा के स्त्रोत के संबंध में पूछताछ कर रही है।

सरपंच लिल्हारे के खिलाफ दर्ज हैं कई अपराध

पुलिस जानकारी के अनुसार, डोंगरमाली सरपंच मनोज लिल्हारे बालाघाट जिले के थाना रामपायली, ग्रामीण (नवेगांव), परसवाड़ा सहित छत्तीसगढ़ के थाना आमानाला रायपुर में भी कई अपराध पंजीबद्ध है। थाना ग्रामीण (नवेगांव), आमानाला और परसवाड़ा में वर्ष 2015 और 2022 में मनोज लिल्हारे के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध है। इतना ही नहीं, वह थाना बरघाट (सिवनी) और बालाघाट के थाना लालबर्रा में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने दोनों आरोपितों के पास से सवा लाख कीमत का 22 किलो गांजा, एक चौपहिया वाहन (एमपी 50 सीए 1702), तीन महंगे मोबाइल फोन, नगदी 5.96 लाख रुपये (कुल मशरूका करीब दस लाख रुपये) बरामद किया है।

इनकी रही अहम भूमिका

एसपी समीर सौरभ, एएसपी विजय डावर और सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा के निर्देशन व मार्गदर्शन में गांजा तस्करों की गिरफ्तारी में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक प्रकाश वास्कले, उनि प्रदीप सिंह बघेल, दीपसिंह परमार, नवीन कुमार पांडेय, प्रआर. राहुल गौतम, आर. शैलेष गौतम, गजेंद्र माटे, पालेश्वर मरकाम, संदीप जाट, मनीजर मरकाम, तिलक अड़मे, प्रआर आकाश ब्रम्हे सहित कोतवाली स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

पीएचई विभाग की लापारवाही से ढह सकती है पानी टंकी

मामला ग्राम पंचायत नगरवाड़ा का

बालाघाट (स्वतंत्र मत)।

लामता तहसील के नगरवाड़ा पंचायत में वर्ष 2015 में पी एच ई विभाग द्वारा निविदा निकाल कर ठेकेदार के मार्फत से पानी टंकी का निर्माण कार्य कराया गया. पीएचई विभाग की लापारवाही से ठेकेदार द्वारा गुणवत्तविहीन मटेरियल से निर्माण कार्य कराया गया. जिस कारण जल कुंभ से पानी रिसता था और 8 वर्षो में ही जल कुंभ का पायरी तूफान में टूट चुका है और ठेकेदार द्वारा नगरवाड़ा ग्राम में पानी सप्लाई के लिए पाइप लाइन बिछाने का कार्य करके 170 मकानों में कनेक्शन देना था परंतु ठेकेदार द्वारा ये सब काम नही किया गया ,जिस कारण ग्रामीणों को आज भी हैंडपंप ,कुआ एवं नदी तालाब का पानी पीना पड़ रहा है ।

पी एच ई विभागो के वरिष्ठ अधिकारियों की मिली भगत से शासन को लाखो रुपए का चूना ठेकेदार द्वारा लगाया गया है और ग्रामीण जनताओं को पीने का पानी के लिए आज भी तरसना पड रहा है,इसके बावजूद भी शासन प्रशासन द्वारा ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड नही किया जा रहा है ना ही ठेकेदार पर शासनात्मक कार्यवाही की जा रही है । ग्रामीणों ने बताया की शीघ्र ही जलकुंभ को शासन प्रशासन द्वारा नही तुड़वाया गया तो कोई भी अप्रिय घटना घटने की आशंका बनी हुई है शासन जितना जल्दी डिस्मेंटल कर तोड़ देते तो हादसा होना टल सकता है क्योंकि ग्रामीणों का आना जाना प्रतिदिन पंचायत भवन में बना रहता है वैसे भी गर्मियों के दिनों में तेज हवा तूफान आते है अगर तूफान में जैसे जल कुंभ का पायरी टूटा है।

उसी तरह पूरा जल कुंभ टूट गया तो पूरा पंचायत भवन तहस नहस हो जायेगा ,और कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है इसलिए पी एच ई विभाग जल कुंभ का डिस्मेंटल आर्डर कराकर शीघ्र ही जल कुंभ को तुड़वाया जाए ।

इनका कहना है

पाणी टंकी का निर्माण वर्ष 2015 में किया गया था ठेकेदार द्वारा गुणवता विहीन मेटेरियल का उपयोग किया और गांव में पाइप लाइन भी नही बिछाया गया, न ही गावो में नल कनेक्शन भी नही किया गया और जो पानी के लिए बोर कराया गया था उसमे भी पानी नही निकला था ,इस कारण जलकुंभ 8 वर्षो के बाद तूफानों में टूटकर गिरने लगा है निर्माण करने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर राशि की वसूली किया जावे ।

चंद्रकांत राहंगडाले
सरपंच नगरवाड़ा

मानेगाव पंचायत में फैला अतिक्रमण का जाल

शिकायतकर्ता को अतिक्रमण कर्ताओं ने जान से मारने की दी धमकी

बालाघाट (स्वतंत्र मत)।

बिरसा जनपद पंचायत के मानेगाव पंचायत में बस स्टेंड ,बाजार चौक एवम वन भूमि पर धन्ना सेठों का बेजा कब्जा कर आलीशान दुकान व मकान बनाकर सड़क के दोनो तरफ अतिक्रमण किया गया है जिसकी शिकायत पूर्व सरपंच द्वारा तहसीलदार ,अनुविभागीय अधिकारी बैहर ,कलेक्टर एवम वनमंडलाधिकारी बालाघाट को पूर्व से लिखित शिकायत करने के बावजूद भी जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने के बजाए शिकायत कर्ता महिला को धमकियां दी जा रही है ,एवम शिकायत कर्ता महिला को अतिक्रमण कर्ताओं द्वारा जान से मारने की धमकी देने वालो पर भी आज दिनाक तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । जिस कारण अतिक्रमण करने वालो के हौसले बुलंद होते जा रहे है , गत दिनों जबकि बिरसा तहसीलदार के द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु आदेश पारित भी किया जा चुका है इसके बावजूद आज दिनाक तक विभाग के द्वारा अतिक्रमण नही हटाया गया है ।न ही शिकायत कर्ता को न्याय मिल रहा है

क्या प्रशासन मानेगांव पंचायत से अतिक्रमण हटाया जावेगा या लीपापोती कर अतिक्रमण को बढ़ावा दिया जायेगा, जब शासन सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण नही हटा सकती है तो बाकी स्थानों पर से क्या खाक अतिक्रमण हटाएगी ।

जिले के 9 उपार्जन केंद्रों में 31 मई तक होगा गेंहू व चना उपार्जन कार्य

बालाघाट (स्वतंत्र मत)।

जिले में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर चना एवं सरसो उपार्जन के लिए 31 मई अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले में पंजीकृत किसानों के लिए गेंहू व चना उपार्जन के लिए 9 उपार्जन केंद्रों का निर्धारण किया गया है। इन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर उपार्जन अब 31 मई तक किया जा सकता है।

बालाघाट के उपार्जन केंद्र गोंगलई, विपणन सहकारी समिति टाकाबर्रा में बालाघाट के 579 व किरनापुर के 308 किसानों ने पंजीयन करवाया है। वही खैरलांजी तहसील के उपार्जन केंद्र सेवा सहकारी समिति खरख?ी, सेवा सहकारी समिति मर्यादित सावरी में 931 तथा शासकीय कृषि प्रक्षेत्र किन्ही सेवा सहकारी समिति मर्यादित खैरलांजी में 555 किसान शामिल है।

विपक्ष की भूमिका निभा रहे लखनादौन पीएचई विभाग के अधिकारी

सिवनी लखनादौन।

एक और समूचे भारत देश में आदर्श आचरण आचार संहिता लागू है जिसमें भड़काऊ पोस्ट या राजनीति से संबंधित पोस्ट करना वर्जित होने के पश्चात भी लखनादौन के पीएचई विभाग के कर्मचारी निर्वाचन आयोग के नियमों को ताक पर रखते हुए कर रहे हैं भड़काऊ एवं राजनीतिक पोस्ट जो कि नियम विरुद्ध है क्या लखनादौन पीएचई विभाग के कर्मचारी को नहीं है निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करना जरूरी क्या निर्वाचन आयोग से मिल रखी है इनको खुली छूट राजनीति करने कीजी हां हम बात कर रहे हैं लखनादौन पीएचई विभाग में कार्यरत सब इंजीनियर आनंद गजभिए की जो खुलेआम राजनीति कर राजनैतिक पोस्ट सार्वजनिक व्हाट्सएप गुरुपों में कर रहे पोस्ट जिसमें भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई जा रही फ्री राशन योजना से संबंधित वीडियो आनंद गजभिए द्वारा समाचार व्हाट्सएप गुरुपों में वायरल किया जा रहा है उक्त वायरल वीडियो में आदरणीय मोदी जी द्वारा देश की जनता को खराब गेंहू बाटने और उसके एवज में जनता से बोट लेने की बात कही जा रही है जिससे देश की जनता में मोदी जी के खिलाफ नफरत फ़ैलाने वाले ऐसे वीडियो वायरल कर क्या संदेश देना चाहते हैं सब इंजीनियर आनंद गजभिएजिससे आहत होकर भाजपा एससी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष लेखराम नागेश द्वारा जिला निर्वाचन आयोग को अवगत कराते हुए शिकायती पत्र लिखकर शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है।

श्रमिक विधिक सेवा सप्ताह अंतर्गत कलेक्ट्रेट कार्यालय में जागरूकता शिविर

सिवनीअध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी श्रीमान सतीश चंद्र राय के मार्गदर्शन में श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी एवं श्री विक्रम सिंह डावर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी के द्वारा गुरूवार 02 मई 2024 को कलेक्ट्रट कार्यालय सिवनी के सभा कक्ष में श्रमिक विधिक सेवा सप्ताह अंतर्गत विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में मानव तस्करी, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, श्रमिको के अधिकार एवं शासन की योजनाओं का लाभ दिलाये जाने हेतु श्रमिकों के लिए कानूनी अधिकार, नालसा अंतर्गत योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना के विषय पर विस्तृत जानकारी दि गई।

5 जून को जिले के 12 परीक्षा केंद्रों में होगी नीट परीक्षा

बालाघाट (स्वतंत्र मत)। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से जारी पत्र के अनुसार 5 जून को नीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले के 12 परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी ।परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं सुचारू रूप से परीक्षा के संपादन के लिए उ?नदस्ते को आदेश जारी किए गए है। जिसके अनुसार परीक्षा केंद्र केंद्रीय विद्यालय भरवेली, ओजस ग्लोबल स्कूल देवटोला, महर्षि विद्या मंदिर समनापुर रोड भटेरा चौकी, सेंटमेरी स्कूल वार्ड नंबर 2 भटेरा रोड, बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल सुरभि नगर, विवेक ज्योति ज्ञानपीठ वार्ड नंबर 33 बन्दरझिरिया के लिए उ?नदस्ते में एसडीएम श्री गोपाल सोनी व सहायक निरीक्षणकर्ता तहसीलदार श्री भूपेंद्र अहिरवार होंगे। वहीं ग्रीन वेली पब्लिक स्कूल वारासिवनी रोड डोंगरिया, आइडल पब्लिक स्कूल वार्ड न.8 चंदोरी वारासिवनी, सतपु?ा वैली पब्लिक स्कूल लालबर्रा रोड गर्रा, जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिवनी, शासकीय शंकर शाव पटेल आर्ट, कॉमर्स एवं लॉ कॉलेज वारासिवनी तथा गुरुदेव इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल स्टेशन रोड कायदी के लिए उ?नदस्ता वारासिवनी एसडीम श्री राजीव रंजन पांडे व सहायक निरीक्षणकर्ता तहसीलदार वारासिवनी श्री शेख इमरान मंसूरी को शामिल किया गया है।

रक्तदान शिविर आज

सिवनी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी श्रीमान सतीश चंद्र राय के मार्गदर्शन में एवं श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी के निर्देशन में 04 मई 2024 को प्रातः 10.30 बजे रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उक्त रक्तदान शिविर में इच्छुक व्यक्ति रक्तदान करने हेतु निर्धारित समय में जिला न्यायालय परिसर सिवनी मे अधिक से अधिक सख्या में पहुचकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें।

नेशनल लोक अदालत में मिलेगी संपत्ति एवं जलकर जमा करने पर अधिभार में छूट

सिवनी

मुख्य नगर पालिका अधिकारी सिवनी ने बताया कि राष्ट्रीय वि धिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 11 मई 2024 को मानस भवन नगर, पालिका कार्यालय के बाजू में प्रातः 11ः00 बजे से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा हैं। ऐसे समस्त करदाताओं से अपील हैं, कि बकाया सम्पत्ति कर एवं जलकर की राशि जमाकर अधिभार में नियमानुसार प्रदाय की जा रही छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जिन करदाताओं की तरफ रूपये 10,000 (दस हजार रूपये) से अधिक सम्पत्तिकर एवं अन्य करों की राशि बकाया होने पर तथा राशि नगर पालिका कोष में जमा न करने पर बकायादारों के नाम स्थानीय समाचार पत्रों में तथा नगर के दृष्टिगोचर स्थानों पर प्रकाशित किये जावेगें। इस प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने के लिये करदाताओं से अपील की जाती हैं, कि 11 मई 2024 को नेशनल लोक अदालत (मानस भवन) में बकाया करों की राशि जमा करें।

कलेक्टर सिंघल ने किया खेत तालाब के निर्माणधीन कार्यों का अवलोकन

सिवनी कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल ने बुधवार को बम्होडी, खूंट एवं बोरीकला ग्राम का निरीक्षण कर प्रगतिरत खेत तालाब निर्माण कार्यो का अवलोकन किया। उन्होंने तालाब निर्माण कार्य की गुणवत्ता का अवलोकन करते हुए सभी कार्यों को निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए पूरी गुणवत्ता से पूर्ण करने निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंघल ने आमाझिरिया एवं गोकलपुर के सामुदायिक तालाब का भी अवलोकन कर उक्त तालाबों के उन्नयन का प्रस्ताव बनाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री नवजीवन विजय, सहायक कलेक्टर श्री पंकज वर्मा, ईई आईएस श्री मिश्रा सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।

स्ट्रॉग रूम सुरक्षा के लिए अधिकारियों की ड्यूटी

नरसिंहपुर। लोकसभा निर्वाचन- 2024 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 26 अप्रैल को मतदान समाप्ति के पश्चात ईव्हीएम/ व्हीव्हीपीएटी कृषि उपज मंडी नरसिंहपुर में स्थापित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखे जाने एवं स्ट्रांग रूम सील हो जाने के पश्चात मतगणना 4 जून तक स्ट्रांग रूम के बारह एवं मंडी परिसर में 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए राजपत्रित/ कार्यपालिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शीतला पटले ने पूर्व में जारी आदेश को संशोधन कर नवीन संशोधित आदेश जारी किया है। उक्त दल निर्धारित ड्यूटी दिनांक व समय पर कृषि उपज मंडी नरसिंहपुर में बनाये गये स्ट्रांग रूम स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर दायित्व का निर्वहन करें।

नगर की चरमराई व्यवस्थाएँ सुधारने भाजपा करेगी प्रयास

सिवनी। नगरीय क्षेत्र में व्यापत अव्यवस्थाओं के निराकरण के लिये सिवनी नगर पालिका परिषद में भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल के नेता ज्ञानचंद सनोडिया के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद में उपाध्यक्ष श्रीमती डाली अमित डागोर सहित समस्त 14 पार्षदों के प्रतिनिध मंडल ने जिला कलेक्टर सिवनी से भेंटकर नगर पालिक परिषद में लगातार की जा रही अनियमित्ताओं के संबंध में बिंदूवार लिखित जानकारी प्रदान कर शीघ्र निराकरण की मांग की है।

जिला कलेक्टर क्षितिज सिंघल से भाजपा पार्षदों के प्रतिनिधि मंडल ने गुरूवार को मिलकर नगर में व्यापत समस्याओं का लिखित पत्र सौंपकर बिंदूवार जानकारी देते हुये बताया कि सिवनी नगर में ग्रीष्मकाल के प्रारंभ में ही भीषण जलसंकट की स्थिती निर्मित हो गयी है । परिषद द्वारा नगर में जल वितरण का कार्य पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जा रहा है । नगर पालिका परिषद दल के नेता ज्ञानचंद सनोडिया ने कहा कि जब से यह परिषद बैठी है नगर में पेयजल की सप्लाई सही तरीके से नहीं हो रही है । नवीन जलावर्धन योजना की जो डिजाईन है वह पुरानी आवर्धन योजना से भी बेकार है । श्री सनोडिया ने कहा कि नवरात्री जैसे पर्व में नगर में पानी की सप्लाई नहीं हो सकी । कहीं दस मिनिट पानी की सप्लाई हो रही है तो कहीं बिल्कुल नही होने से नगर में पेयजल की स्थिती असंतोषजनक बनी है । उन्होंने बताया कि सभी भाजपा के पार्षदों ने भाजपा के वरिष्ट नेताओं से विचार विमर्श करने के पश्चात आज जिला कलेक्टर से समस्या के शीघ्र निराकरण की मांग के साथ ही नगर में व्यापत अन्य समस्याओं की बिंदूवार जानकारी पर चर्चा की है।

जिला कलेक्टर से मिले प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि पेयजल के साथ ही नगर के वार्डो में सफाई व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है और लापरवाही बरती जा रही है । दससागर एवं मठ तालाब की साफ सफाई कराने की मांग की प्रतिनिधि मंडल ने की है । इसके साथ ही नगर में आवारा पशुओं के बेजा आंतक से परेशान नगरवासियों को तत्काल छुटकारा दिलाने की मांग की है, प्रतिनिधि मंडल ने चर्चा में बताया कि नगर में आवारा कुत्तों का जिस तरह से आतंक बढ़ रहा है वह खतरनाक होते जा रहा है । आवार कुत्तों के कारण अनेक दुर्घटनाएँ भी घट रही है ।

रात्रि एवं सुबह के समय वाहनों के पीछे कुत्ते भौंकते भागते है जिससे अनेक दुपहिया चालक गिरकर चोटिल हो चुके है, वहीं गाय भैसों का रोड में जमघट लगा रहता है ।

भाजपा पार्षदों के प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि सिवनी नगर पालिका परिषद में पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित अन्य कर्मचारी निर्वाचित पार्षदों से पक्षपात पूर्ण व्याहार करते है । सिवनी नगर पालिका परिषद में नामांतरण किये जाने को लेकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है जिसकी अनेक शिकायते प्राप्त होती है । प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि पिछले दो वित्तीय वर्षो से परिषद में डीजल वितरण को लेकर बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार किया जा रहा है तथा कलेक्टर सिवनी को सौंपे पत्र में कहा गया है कि कायाकल्प हेतु स्वीकृत कार्यो को रोका जा रहा है प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर से अपेक्षा व्यक्त की है कि उल्लेखित बिंदुवार समस्याओं के निराकरण की दिशा में आवश्यक कार्यवाही कर समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिये कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

जिला कलेक्टर से मिलने पहुँचे पार्षदों के प्रतिनिधि मंडल में भाजपा पार्षद दल के नेता ज्ञानचंद सनोडिया, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती डाली अमित डागोर, राजेश राजू यादव, सुश्री साक्षी डागोरिया, श्रीमती अनुसुईया पटवा, विजय गोलू मिश्रा, रविशंकर भांगरे, संजय भलावी, गोविंदी रवि सैयाम, श्रीमती मालती पांडेय, श्रीमती राजकुमारी बरमैया, श्रीमती प्रभा दुबे पुत्र विवेक मोंटू दुबे, श्रीमती जीतू तरूण श्रीवास, श्रीमती राजश्री संदेश बास्सा, उपस्थित रहे।